125

23-3-13

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2013 निगरानी

R-1176-III/13

1. मिठठू पुत्र पंचा जाति जाटव निवासी वेरखेडी तूमेंन तह. व जिला अशोकनगर म प्र.।

---- आवेदक

बनाम

1. दलवीर कौर पत्नि रामसिंह सिक्ख निवासी वेरखेडी तूमेंन तह. व जिला अशोकनगर म.प्र.।
2. मुन्नालाल पुत्र मानसिंह रघुवंशी।
3. नवलसिंह पुत्र मानसिंह रघुवंशी निवासीगण ग्राम सावन तह. व जिला अशोकनगर म.प्र.

---- अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्र.क्र. 115/बी–121/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2013 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

23.3.13

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है –

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यह कि, संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बेरखेडी तूमेंन तह. व जिला अशोकनगर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क. 125/2 रकवा 2.090 है. के भूमि स्वामी आवेदक क्र. 1 थे। इनके द्वारा उक्त भूमि को रजि. विक्रय पत्र के आधार पर भूमि को विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क. 2 व 3 द्वारा तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया गया जा कर विधिवत् उद्योषणा जारी की गई आपत्तियॉं आहूत की गई। समयावधि में आपत्तिकर्ता की आपत्ति का विधिवत् निराकरण करते हुये अनावेदक क 2 व 3 के हित में संहिता की धारा 109/110 के तहत नामान्तरण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश को अनावेदक क. 1 द्वारा निगरानी कलेक्टर जिला अशोकनगर के समक्ष प्र.क 115/बी–121/2011–12 निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी में बिना किसी कारण स्पष्ट किये हुये केवल यह मानते हुये कि, भूमि

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./1176/तीन/2013 जिला अशोकनगर

मिठ्ठू विरूद्ध दलवीर कौर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~17/6/19~~ 20/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-115/बी-121/2011-12/निग. में पारित आदेश दिनांक 30/01/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13/08/19 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 20/6/19 सदस्य	